District Magistrate Samastipur
27 JAN 2021
Confidential Section

सं0—01 / सा0सु0 मुख्यमंत्री दिव्योत्थान योजना—13 / 2020 स.क:— 178

बिहार सरकार

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय भा0प्र0से0

निदेशक,

सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक,

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,

बिहार। ।

पटना, दिनांक— 27.01.2021

विषयः—**मुख्यमंत्री नवजीवन योजना (कार्ययोजना) के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा कुष्ठ पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने एवं कुष्ठ पीड़ितों के प्रति भ्रांतियों को समाप्त करते हुए भेदभाव का उन्मूलन करने हेतु **"मुख्यमंत्री नवजीवन योजना"** (कार्ययोजना) पत्रांक—AL-942/9/2020 SEC3SCH- 273 दिनांक—22.01.2021 निर्गत की गयी है। उक्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पत्र में अंकित बिन्दुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय तथा पत्र की प्रति अपने जिला के सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध करायी जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

निदेशक

ज्ञापांक—01 / सा0सु0 मुख्यमंत्री दिव्योत्थान योजना—13 / 2020 स.क:— 178 पटना, दिनांक— 27.01.2021

प्रतिलिपि— सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

Scanned with CamScanner

AL-942/9/2020SEC3SCH-

मुख्यमंत्री नवजीवन योजना

(कार्ययोजना)

कुष्ठ एक लाईलाज बीमारी नहीं है तथा इसका पूर्ण ईलाज सम्भव है, परन्तु कतिपय भ्रांतियों एवं अंधविश्वास के कारण कुष्ठ रोग पीड़ितों को अभी भी समाज में तिरस्कार एवं भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वह समाज की मुख्यधारा से दूर अलग-थलग जीवन निर्वहन कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इनके साथ भेदभाव का उन्मूलन करते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाना है, ताकि वह भी आमलोगों की तरह सम्मानित जीवन जी सकें।

1. **उद्देश्य -**

(क) कुष्ठ पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना एवं

(ख) कुष्ठ पीड़ितों के प्रति भ्रांतियों को समाप्त करते हुए भेदभाव का उन्मूलन ।

अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु **"मुख्यमंत्री नवजीवन योजना"** का प्रारूपण किया गया है, जिसके अन्तर्गत मिशन मोड में कार्य करने हेतु एक कार्ययोजना बनाकर निम्नलिखित योजना/कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है :-

(i) सर्वे एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम -

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के सर्वेक्षण के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार Visible Deformities Grade-2 के 9157 कुष्ठ पीड़ित चिन्हित किये गये हैं। वर्ष 2020 के अनुमानित जनसंख्या 12.40 करोड़ एवं Prevalence Rate 1.23 प्रति दस हजार के अनुसार राज्य में 15,252 Visible Deformities Grade-2 के कुष्ठ पीड़ित हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 के कुष्ठ पीड़ितों का सर्वे कर उन्हें पात्रता के अनुरूप सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक समविकास पोर्टल तैयार किया जायेगा, जिससे उनकी सूची एवं पात्रता का संधारण हो सके। इसके लिए निम्न कार्य योजना है-

(क) स्क्रीनिंग एवं आरम्भिक चिन्हिकरण (Early Detection)- इस कार्यक्रम के तहत समय-समय पर अभियान चलाकर आशा कार्यकर्ता/अन्य सक्षम कर्मी द्वारा कुष्ठ पीडितों की स्क्रीनिंग की जायेगी। जिससे स्क्रीनिंग के दौरान कुष्ठ पीडितों को प्रारम्भ में ही चिन्हित (Early Detection) किया जा सके।

(ख) चिकित्सीय निदान एवं उपचार (Diagnosis and Treatment)- इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित कुष्ठ पीडितों को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर निबंधित कर समयबद्ध मुफ्त चिकित्सीय उपचार किया जायेगा एवं समय-समय पर उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक जाँच की जाती रहेगी। जटिल मामले में उनके ईलाज के लिए जिला अस्पताल अथवा अन्य स्तरीय सरकारी अस्पताल में रेफर किया जायेगा, जहाँ भी इनका मुफ्त ईलाज किया जायेगा।

(ग) प्रशिक्षण- स्क्रीनिंग एवं आरम्भिक चिन्हिकरण हेतु आशा कार्यकर्ता/अन्य सक्षम कर्मी को समय-समय पर इस प्रकार प्रशिक्षित किया जायेगा कि वे कुष्ठ पीडितों के स्क्रीनिंग में पूर्ण रूप से दक्ष हों।

(ii) कल्याणकारी योजना अन्तर्गत आच्छादन -

समविकास पोर्टल पर संधारित सर्वे सूची में निहित सूचना के आधार पर सभी सर्वेक्षित ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 के कुष्ठ पीड़ितों एवं उनके परिवारों को उनकी योग्यता एवं पात्रता के अनुरूप सरकारी योजनाओं यथा- विधिक सहायता, मुफ्त भूमि एवं आवास की सुविधा, राशन कार्ड, गरीब एवं भिक्षुकों के लिए योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, बच्चों की शिक्षा, आई०सी०डी०एस० निदेशालय की योजना, कौशल विकास कार्यक्रम एवं अर्हता एवं क्षमता के अनुरूप अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा। दृश्य विकृति, ग्रेड-2 (Visible

Scanned with CamScanner

Deformities Grade-2) के कुष्ठ पीड़ितों को दिव्यांगजन हेतु संचालित सहायो योजना का नियमानुसार लाभ दिया जायेगा।

(iii) समविकास कार्यकर्ता एवं परामर्शी सेवाऐं -

केन्द्र / राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 के कुष्ठ पीडितों/परिवार को उनकी पात्रता के अनुरूप आच्छादित करने हेतु मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजनान्तर्गत कार्यरत Outreach Worker समविकास कार्यकर्ता का कार्य करेंगे, जो ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 के कुष्ठ पीड़ितों/परिवारों तथा विभाग के बीच कड़ी का कार्य करेंगे एवं कुष्ठ पीड़ितों एवं उनके परिवार के लिए समविकास एजेण्ट की भूमिका निभायेंगे तथा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में परामर्शी सेवाऐं भी उपलब्ध करायेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा।

(iv) जागरूकता अभियान -

कुष्ठ पीड़ितों के प्रति भेदभाव, अलगाव एवं भ्रांतियों को दूर करने तथा कुष्ठ के early Detection के लिए आमजनों के बीच संचार के विभिन्न साधनों से जागरूकता अभियान संचालित किया जायेगा, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिल सके।

(v) सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता अभियान -

बिहार राज्य में कुष्ठ पीड़ितों के अलग-अलग आवासीय परिसर हैं। इन आवासीय परिसरों के सौन्दर्यीकरण हेतु स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा। इन आवासीय परिसरों के नामांकरण में परिवर्तन किया जायेगा, ताकि उसका कुष्ठ पीडित कॉलोनी के रूप में विशिष्ट पहचान न हो सके एवं सामान्य कॉलोनी के रूप में विकसित हो सकें।

2. वर्तमान में कुष्ठ पीड़ितों के लिए बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत लाभुकों को रू0 1500/- की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का नाम अब **"मुख्यमंत्री नवजीवन योजना"** होगी। इस योजनान्तर्गत नयी स्वीकृति नहीं दी जायेगी। वर्तमान लाभुकों की मासिक सहायता उनके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने तक जारी रहेगी। समाज की मुख्यधारा में शामिल होने एवं अर्थोपार्जन में सक्षम होने के उपरांत इस योजना का लाभ स्वत: समाप्त हो जायेगा। इसके लिए वहिर्गमन नीति (Exit Policy) निम्न प्रकार होगी-

2.1 वैसे कुष्ठ पीडित जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के असहाय वृद्ध हैं एवं वृद्धाश्रम में रहने के इच्छुक हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में आवासित किया जायेगा एवं उन्हें इस योजना का लाभ आवासित होने के उपरांत देय नहीं होगा।

2.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना अन्तर्गत स्वावलम्बन कार्यक्रम के तहत जिन कुष्ठ पीडितों को शामिल किया जायेगा, उन्हें बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का लाभ देय नहीं होगा, क्योंकि वह स्वयं अब जीविकोपार्जन में सक्षम हो गये हैं।

2.3 दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा दिव्यांग के स्वरोजगार हेतु "स्वरोजगार ऋण" का प्रावधान है, वैसे कुष्ठ पीडित जो दिव्यांग हैं एवं स्वरोजगार ऋण प्राप्त कर अपने अर्थोपार्जन में सक्षम हो गये हैं, उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

2.4 वैसे कुष्ठ पीडित जो कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं एवं प्रशिक्षणोपरांत अपने जीविकोपार्जन में स्वयं सक्षम हैं, उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

इसके लिए समविकास एजेंट समय-समय पर इसका अनुश्रवण करते हुए अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, ताकि इस योजनान्तर्ग लाभ को समाप्त करते हुए उन्हें डाटाबेस से डिलीट किया जायेगा।

3. धनराशि की उपलब्धता -

कुष्ठ पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु चलाये गये अभियान / जागरूकता कार्यक्रम एवं पेंशन योजनाओं से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री नवजीवन योजना अन्तर्गत सीमित बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with CamScanner

4. इस योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय होंगे।

5. **शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स -**

सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत एवं निवारण हेतु हेल्प डेक्स तथा एम0आई0एस0 की व्यवस्था की जायेगी। शिकायत का निपटारा प्रखण्ड विकास कार्यालय में नहीं होने की स्थिति में अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय कार्यालय तथा सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है।

22/1/21

संयुक्त निदेशक,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- AL-942/9/2020SEC3SCH 273 पटना, दिनांक- 22-1-2021

प्रतिलिपि :- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/1/21

संयुक्त निदेशक,
समाज कल्याण विभाग।

Scanned with CamScanner